

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

वाद संख्या-11/2025

थाना-कोतवाली विकासनगर
धारा 3(1)गुण्डा अधिनियम

सरकार

बनाम

राहुल कश्यप

निर्णय

वाद की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के पत्रांक वाचक-39(08)/2025 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर की चालानी रिपोर्ट दिनांक 12.09.2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली विकासनगर द्वारा अपनी चालानी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि राहुल कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप, निवासी कश्यप मौहल्ला जीवनगढ़, थाना विकासनगर का निवासी है, जिसके विरुद्ध कोतवाली विकासनगर में चोरी तथा आबकारी अधिनियम एवं आयुध अधिनियम के अभियोग पंजीकृत है तथा वर्तमान में मा0 न्यायालय से जमानत पर है। अभियुक्त राहुल कश्यप एक शातिर किस्म का गुण्डा प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी है, जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिए खतरनाक है। अभियुक्त राहुल कश्यप उपरोक्त का समाज में स्वच्छंद रूप में घुमना समाज के लिए खतरनाक है। समाज में इस भय व्याप्त है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत् है:-

1. मु०अ०स० 214/2023 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम थाना विकासनगर।
2. मु०अ०स० 238/2023 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम थाना विकासनगर।
3. मु०अ०स० 372/2023 धारा 380/457/411 भादवि थाना विकासनगर।
4. मु०अ०स० 65/2024 धारा 380/411 भादवि थाना विकासनगर।
5. मु०अ०स० 169/2024 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम थाना विकासनगर।
6. मु०अ०स० 291/2024 धारा 305/317(2) BNS थाना विकासनगर।
7. मु०अ०स० 194/2025 धारा 60 आबकारी थाना विकासनगर।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त एक गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसकी आम शौहरत ठीक नहीं है तथा आम जनमानस में स्वच्छन्द विचरण जनता के हित में ठीक नहीं है। आम जनता में इनका भय व्याप्त है कोई भी इनके विरुद्ध गवाही देने हेतु तैयार नहीं होता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा राहुल कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप, निवासी कश्यप मौहल्ला जीवनगढ़, थाना विकासनगर के विरुद्ध विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के माध्यम से प्राप्त प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली विकासनगर जनपद देहरादून की चालानी रिपोर्ट व नकलचिकों का अवलोकन किया और विपक्षी राहुल कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप, निवासी कश्यप मौहल्ला जीवनगढ़, थाना विकासनगर को भा0द0वि0 के अध्याय 16, 17, 22 के अन्तर्गत उल्लिखित आपराधिक कृत्यों को करने तथा आयुध अधिनियम एवं आबकारी अधिनियम का प्रथम दृष्टया अभ्यस्त पाया गया है, जिसके आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के विरुद्ध दिनांक 09.10.2025 धारा-3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया तथा विपक्षी से अपेक्षा की गयी कि व न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षी को नोटिस की तामीली बजाज खास करायी गयी। विपक्षी नियत तिथियों में न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। विपक्षी को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी विपक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया है कि उक्त विपक्षी के विरुद्ध 02 वाद भादवि, 01 वाद बी0एन0एस0, 03 वाद शस्त्र अधिनियम एवं 01 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत है।

धारा 2(ख)(iii) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अनुसार गुंडा से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:-

(4) (जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा-153 या धारा 153-ख या धारा-294 या उक्त संहिता के अध्याय 15, अध्याय, 16, अध्याय-17 या अध्याय-22 के अधीन दंडनीय अपराध को अभयास्तः कारित करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है।

इस कारण विपक्षी राहुल कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप, निवासी कश्यप मौहल्ला जीवनगढ़, थाना विकासनगर के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम की धारा 3(1) की कार्यवाही संस्थित किये जाने के प्रथम दृष्टया सुसंगत आधार है।

अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरान्त मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इसके विरुद्ध थाने पर व जनपद के अन्य थानों पर निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत है:-

1. मु०अ०स० 214/2023 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम थाना विकासनगर।
2. मु०अ०स० 238/2023 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम थाना विकासनगर।
3. मु०अ०स० 372/2023 धारा 380/457/411 भादवि थाना विकासनगर।
4. मु०अ०स० 65/2024 धारा 380/411 भादवि थाना विकासनगर।
5. मु०अ०स० 169/2024 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम थाना विकासनगर।
6. मु०अ०स० 291/2024 धारा 305/317(2) BNS थाना विकासनगर।
7. मु०अ०स० 194/2025 धारा 60 आबकारी थाना विकासनगर।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है।

मैं अभियोजन पक्ष के इस तर्क से सहमत हूँ कि विपक्षी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। लोगों धमकाने डराने का आदि है ऐसी स्थिति में विपक्षी के अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाया जाना लोक शान्ति तथा जनहित में आवश्यक हैं तथा विपक्षी के अपराधिक गतिविधियों से लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, जनसाधारण में अमन, चैन व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए विपक्षी का स्वतन्त्र विचरण करना जनहित में उचित नहीं है। उक्त पंजीकृत अपराधों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी अपराधी किस्म का व्यक्ति है। विपक्षी का अपराधिक इतिहास, उक्त गुण्डा एक्ट में दिये गये परिभाषाओं के अनुसार गुण्डा घोषित करने के लिए पर्याप्त है।

मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हर्ष नारायण बनाम जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद, 1972 ए०डब्ल्यू०आर० 632/1972 ए०एल० जे० 762/1972 इलाहाबाद किमनल रूल 404 के मामले में अवधारित किया है कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) (ग) में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुण्डा व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की तिथि पर अपराधिक अभियोग अवश्य ही लम्बित होने चाहिए। इतना पर्याप्त है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोजन कार्यवाही या स्त्री तथा लड़की, अनैतिक व्यापार गमन अधिनियम 1956 या उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन कार्यवाही प्रमाणित करने हेतु खण्ड (ग) में अंकित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतः साझीगण गुण्डा व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य देने का साहस नहीं करते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित करने के लिये निरोधात्मक कार्यवाही या किसी अभियोजन का लम्बित होना आवश्यक नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान गुण्डा व्यक्ति के सम्बन्धित भूत एवं वर्तमान दोनों कालों के समय घटित अनुभवों के विधिसम्मत आधार पर निर्भर हो सकता है इस दृष्टिकोण से कि यदि गुण्डा व्यक्ति के विरुद्ध विवादित आदेश के पारित किये

जाने की तिथि पर कोई भी आपराधिक अभियोग न भी लम्बित हो तो तब भी यह तथ्य धारा 3(1) (ग) में निहित शर्तों के अस्तित्व के आधार पर विधिसम्मत समाधान को निष्फल नहीं करता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यो तथा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आधार पर विपक्षी राहुल कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप, निवासी कश्यप मौहल्ला जीवनगढ़, थाना विकासनगर जनपद देहरादून के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करना मैं उचित समझता हूँ। अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

::आदेश::

विपक्षी राहुल कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप, निवासी कश्यप मौहल्ला जीवनगढ़, थाना विकासनगर के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 09.10.2025 की पुष्टि की जाती है तथा विपक्षी को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जनहित में "गुण्डा" घोषित करते हुए आदेश के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया जाता है। इस अवधि में विपक्षी इस जनपद में किसी कारण वश यदि प्रवेश करेगा तो उसकी सूचना इस न्यायालय को देगा और स्वीकृति उपरान्त ही स्वीकृत अवधि के लिए इस जनपद में प्रवेश करेगा। विपक्षी को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह जनपद की सीमा से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता इस न्यायालय को एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर, जनपद देहरादून को उपलब्ध करायेगा। विपक्षी धारा-3 में पारित इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, किन्तु 6 माह से कम नहीं होगा, के दण्ड और जुर्माने का भी भागी होगा। आदेश की एक प्रति विपक्षी को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर, जनपद देहरादून के माध्यम से प्रेषित की जाये। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, विकासनगर, जनपद देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील कर, 24 घण्टे के अन्दर उपरोक्त विपक्षी को जनपद से अन्यत्र चले जाने के निर्देश दें तथा अनुपालन आख्या इस न्यायालय को प्रेषित करें। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को भी अनुपालपार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।



(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

उक्त आदेश आज दिनांक 21/04/2026 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।



(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।